न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई0ए0एस0

प्र0सं0- 10 / 2024 (Bank Case)

GCMS No- 2024/10

भारतीय स्टेट बैंक शाखा– आर.ए.सी.पी.सी, कोटा (राज.) में स्थित व कार्यरत है।
जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री हेमन्त पोरवाल।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. स्व0 श्री प्रवीण सिंह पुत्र स्व0 श्री मोहन सिंह के कानूनी वारिस–
(ऋणी / बंधककर्ता)

I. श्रीमती हेम कंवर पत्नी स्व0 श्री प्रवीण सिंह
II. श्री करण राठौड पुत्र स्व0 श्री प्रवीण सिंह
पता– देवनारायण मंदिर के पास, खण्ड गावडी, सिविल लाईन, नयापुरा, कोटा

2. किरण राठौड पुत्री स्व श्री प्रवीण राठौड़
पता– देवनारायण मंदिर के पास, खण्ड गावडी, सिविल लाईन, नयापुरा, कोटा

– अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर कोटा

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 08.10.2025

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा– आर.ए.सी.पी.सी, कोटा (राज.) में स्थित व कार्यरत है से अप्रार्थी / ऋणी ने दिनांक 10.03.2015 को रू. 3,60,000 / – (अक्षरेः रूपये तीन लाख साठ हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के ऐवज में ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे श्री स्व0 प्रवीण सिंह पुत्र स्व0 श्री मोहन सिंह की अचल सम्पत्ति रिहायशी भूमि एवं भवन जो कि देवनारायण मंदिर के पास, खण्ड गावडी, सिविल लाईन, नयापुरा, कोटा पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 97.48 वर्ग गज है। जिसका पट्टा नगर निगम कोटा द्वारा क्रमांक ननिको / नियमन–आवंटन / 2007–08 / 522, दिनांक 21.6.13 से जारी किया गया है। सीमाएं पूर्व में– छोटू लाल का मकान, पश्चिम में– 5 फीट चौडी गली, उत्तर में– खाल, दक्षिण में– गिरिराज का मकान है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 07.10.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी उसके खाते मे 3,03,826 / – (अक्षरे रूपये तीन लाख, तीन हजार, आठ सौ छब्बीस मात्र) बकाया रकम दिनांक 21.07.2022 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 21.07.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजि0 किया जाकर न्यायहित को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया। अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने से सरफेसी एक्ट के प्रावधान अनुसार वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस अप्रार्थीगण दिनांक 21.07.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस को दिनांक 21.07.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी /बंधककर्ता **श्री स्व0 प्रवीण सिंह पुत्र स्व0 श्री मोहन सिंह की अचल सम्पत्ति रिहायशी भूमि एवं भवन जो कि देवनारायण मंदिर के पास, खण्ड गावडी, सिविल लाईन, नयापुरा, कोटा पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 97.48 वर्ग गज है। जिसका पट्टा नगर निगम कोटा द्वारा कमांक ननिको/नियमन–आवंटन/2007–08/522, दिनांक 21.6.13 से जारी किया गया है। सीमाएं पूर्व में– छोटू लाल का मकान, पश्चिम में– 5 फीट चौडी गली, उत्तर में– खाल, दक्षिण में– गिरिराज का मकान है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावें।

आदेश आज दिनांक 08.10.2025 को सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)